न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2016 निग.

1. मनीराम } पुत्रगण
2. बद्री } रामनाथ ढीमर

निवासी ग्राम सकतपुरा परगना भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.

----आवेदकगण

बनाम

1. महिला कुशुमा पुत्री रामदयाल ढीमर
2. मनकू पुत्री रामदयाल

निवासी ग्राम सकतपुरा परगना भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.

----अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय भाण्डेर जिला दतिया के प्रक. 05/अ–27/14–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 26.02.2016 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्राकर है कि, अनावेदक क. 1 ने भूमि सर्वे क. 18, 22, 23, 49, 59, 81, कुल किता 6 के संबंध में संहिता की धारा 178 के अधीन आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय परगना भाण्डेर जिला दतिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण कमाक 05/अ–27/14–15 प्रस्तुत किया गया जिस पर से कोई उद्योषणा जारी नही की गई आपत्तीयां आहुत नही की गई। पटवारी हल्का को तलब नही किया गया। और ना ही फर्दो का विधिवत प्रकाशन किया गया और ना ही भूमि स्वामी के पदो पर कोई आपत्ती चाही गई जबकि प्रकरण लम्बें समय से विचाराधीन है। उक्त प्रकरण का कोई निराकरण नही किया गया। इस प्रकार आदेश पत्रिका दिनांक 26.02.2016 आवेदक की आपत्ती का कोई निराकरण नही किये जाने के कारण उक्त आदेश से दुखित होकर निगरानी समयावधि में निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तत है :—

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 908–दो/2016 जिला–दतिया

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील भाण्डेर जिला दतिया के प्रकरण कमांक 5/अ–27/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26.02.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 **कलेक्टर जिला दतिया**	